न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्या **04/2019** अपील (राजस्व)

1. श्री मांगीलाल सालवी पिता श्री ऊंकार जी सालवी निवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) हाल निवासी मकान नं. 12, ई–ब्लॉक, आदर्श नगर यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर

—— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री प्रकाश सालवी पिता स्व. श्री जमनालाल सालवी,
3. श्री गोपाल सालवी पिता स्व. श्री जमनालाल सालवी,
4. सुश्री सारिका पुत्री स्व. श्री जमनालाल सालवी
5. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री जमनालाल सालवी
   सर्वनिवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) हाल निवासी 20, गुलमोहर चौक धोलीबावडी, उदयपुर
6. श्री रामचन्द्र सालवी उर्फ किसन पुत्र स्व. परसराम सालवी निवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) हाल निवासी सुखदेवी नगर बेदला, उदयपुर

—— रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>
<u>अपील बनाराजगी आदेश 14.01.1983 तहसीलदार मावली नामान्तकरण सं. 219</u>

उपस्थित : श्री भरतसिंह राव, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री रजत मेहता, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 5
श्री भगवती लाल जैन, अधिवक्ता विपक्षी सं. 6

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 16.12.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के नामान्तरकरण संख्या 219 आदेश दिनांक 14.01.83 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के परदादा मोती के चार संताने क्रमशः लाला, दीपा, गांगा, नवला होकर गांगा व नवला लाऔलाद फौत हुए। लाला के भेरा हुआ। जो भी लाऔलाद फौत हुआ। उंकार के अपीलान्ट एवं जमनालाल हुए। जमनालाल के फौत होने से उसके वारीस विपक्षी संख्या 2 से 5 हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त परिवार में उत्तराधिकारी केवल मात्र अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ही जीवित हैं तथा सम्पूर्ण परिवार के किसी भी सदस्य की

समस्त चल अचल सम्पत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। भेरा पिता लाला की मृत्यु के पश्चात् उनके खातेदारी आराजी संख्या 1189 व 1190 किता 2 रकबा 6 बिघा भूमि ग्राम सालेराकला तहसील मावली में स्थित थी जिसके मात्र उत्तराधिकारी हम ही थे। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिनस्थ कर्मचारीयो द्वारा मिलीभगत करते हुए अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के पिता उंकार जी को अधिकार से वंचित करने के लिये एवं कानुनी पेचीदगियो में फसाने के उद्धेश्य से उक्त कृषि आराजीयात में से स्वर्गीय उंकार के नाम नामान्तरकरण ना कर किसी काल्पनिक नाम किशन पिता परसीया के नाम कर दिया गया। जिससे कि भविष्य में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के पिता व दादा उंकार को परेशानी का सामना करना पड़े। अपीलार्थी को राजस्व रेकार्ड के बारे में अधिक जानकारी नहीं होने के कारण उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में काबिज होने के चलते कभी राजस्व रेकार्ड की गहन जानकारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन गॉव में भूमाफियाओ द्वारा धमकी दिये जाने की अपीलार्थी की कृषि भूमि किशन पिता परसीया के नाम पर है जबकि उक्त नाम का व्यक्ति वजुद में नहीं है और भुमाफिया लोग अपीलार्थी को धमकी दे रहे है कि वे छल पुर्वक किसी किशन पिता परसीया नाम के व्यक्ति को तैयार कर जमीन खुर्दबुर्द कर देंगे एवं अपीलार्थी को उक्त आराजीयात से बेदखल कर देंगे। अतः श्रीमान से निवेदन कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 14.01.83 तहसीलदार मावली को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें तथा नवीन नामान्तरकरण से कृषि आराजीयात अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के नाम हिस्से अनुसार किये जाने का आदेश फरमावें।

अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को राजस्व रेकार्ड की गहन जानकारी नहीं होने के कारण नाही स्वयं की जमीन के संबंध में किसी जानकारी की आवश्यकता होने के कारण उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हुई परन्तु भूमाफियाओ के द्वारा धमकी देते हुए प्रार्थी ने जानकारी की जो दिनांक 14.01.19 को हुई जिस पर तत्काल नकले प्राप्त कर अधिवक्ता से संपर्क कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के समय को कण्डोन कराये जाने का श्रम करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 द्वारा धारा 5 का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि आराजी संख्या 1189 व 1190 के खातेदार खेमा पुत्र भोपा सालवी के वारीस रामचन्द्र उर्फ किशना पुत्र परसराम के नाम नामान्तरकरण खोला व राजस्व रेकार्ड में अंकित हुआ। पासबुक दिनांक 01.02.76 के अनुसार खेमा पुत्र भोपा के नाम आराजी संख्या 1188, 1189, 1190 खेमा पिता भोपा सालवी के नाम दर्ज हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात् परसराम एवं परसराम की मृत्यु के पश्चात् किशना उर्फ रामचन्द्र के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हैं। वास्तविकता में रामचन्द्र उर्फ किशना जीवित होकर खातेदार कृषक हैं। जिसकी जानकारी अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 को भी हैं। इसके बावजुद 36 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की गई

हैं। अपीलीय नामान्तरकरण की जानकारी शुरू से ही सभी पक्षकारो को थी अपील दर्ज कराने हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र 36 वर्ष पश्चात् विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु गलत तथ्यो का समावेश कर प्रस्तुत किया गया हैं। भूमाफियाओ की बात कही गई हैं। जो गलत हैं। नाही इस भूमि पर उनका कोई हक हिस्सा हैं। मात्र जमीन हड़पने की नियत से सही खुले हुए नामान्तरकरण को गलत बताते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। मियाद कण्डोन का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः धारा 5 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार फरमाया जावें।

रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा भी धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने जानबुझकर तथ्यो को छिपाते हुए नामान्तरकरण आदेश की जानकारी नहीं होना अंकित कर गलत अपील 36 वर्ष यानिकी 13140 दिन पश्चात् मियाद बाहर अपील को मियाद में लेने हेतु मात्र आदेश की जानकारी नहीं होना अंकित कर अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। जबकि अपीलार्थी सरकारी कर्मचारी होकर शिक्षित व्यक्ति हैं। उसका पुरा परिवार शिक्षित हैं। अपीलार्थी को 36 वर्ष पश्चात् इतने लम्बे अन्तराल के बाद जानकारी कैसे हुईं। विलम्ब का प्रत्येक दिन व कारण का स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र में कही भी उल्लेखित नहीं किया गया हैं। देरी के मामले में प्रत्येक दिन हुए विलम्ब को स्पष्ट किया जाना आवश्यक हैं। अतः अपील मियाद बिन्दु पर ही खारीज की जाना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के अपीलान्ट के परदादा मोती के चार संताने क्रमशः लाला, दीपा, गांगा, नवला होकर गांगा व नवला लाऔलाद फौत हुए। लाला के भेरा हुआ। जो भी लाऔलाद फौत हुआ। उंकार के अपीलान्ट एवं जमनालाल हुए। जमनालाल के फौत होने से उसके वारीस विपक्षी संख्या 2 से 5 हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त परिवार में उत्तराधिकारी केवल मात्र अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ही जीवित हैं तथा सम्पूर्ण परिवार के किसी भी सदस्य की समस्त चल अचल सम्पत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। भेरा पिता लाला की मृत्यु के पश्चात् उनके खातेदारी आराजी संख्या 1189 व 1190 किता 2 रकबा 6 बीघा भूमि ग्राम सालेराकला तहसील मावली में स्थित थी जिसके मात्र उत्तराधिकारी हम ही थे। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिनस्थ कर्मचारीयो द्वारा मिलीभगत करते हुए अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के पिता उंकार जी को अधिकार से वंचित करने के लिये एवं कानुनी पेचीदगियो में फसाने के उद्धेश्य से उक्त कृषि आराजीयात में से स्वर्गीय उंकार के नाम नामान्तरकरण ना कर किसी काल्पनिक नाम किशन पिता परसीया के नाम कर दिया गया। जिससे कि भविष्य में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के पिता व दादा उंकार को परेशानी का सामना करना पड़े। वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि का वारीसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ही है परन्तु तहसीलदार मावली के कर्मचारीयो द्वारा मिलीभगत कर उंकार को उक्त भूमि से वंचित करते हुए परसीया के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है। जो गलत हैं। सही वारीसानो के नाम उक्त

नामान्तरकरण दर्ज कराना फरमावें। अपनी बहस की ताईद में आर आर टी 2013 (1) पेज 473 एवं आर आर टी 2002 (1) पेज 648 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त आराजीयात 01.02.1976 को खेमा पिता भेरा सालवी के नाम दर्ज थी। भेरा की मृत्यु पर नामान्तरकरण तस्दीक के दिनांक को भेरा के पुत्र परसीया की भी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में विरासत का नामान्तरकरण उसके पौत्र किशन पिता परसीया बलाई के नाम दर्ज हुआ। 36 वर्ष के अतिविलम्ब से अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई हैं। जो वेग व निरर्थक धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रस्तुत की गई है जो खारीज योग्य है जिसे खारीज फरमायी जावें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा निवेदन किया कि अपीलार्थी ने मात्र जमीन हड़पने की नियत से अपने ही परिवार के सदस्यो में पक्षकार संख्या 2 से 5 बनाकर तथ्यो को छिपाते हुए अपील प्रस्तुत की हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी न्यायालय के सामने स्वच्छ हाथो से नहीं आया हैं। अपीलार्थी ने 36 वर्ष अतिविलम्ब से अपील प्रस्तुत की हैं। अपील में जो सजरा अपीलार्थी ने बनाकर प्रस्तुत किया है वह पूर्णतया गलत हैं। रेस्पोडेंट संख्या 6 के नाम नामान्तरकरण उसके पूर्वजो से चला आता हुआ खुला हैं। जिसमें लाला के पश्चात् भेरा, भेरा के पश्चात् परसीया व परसीया से किशन उर्फ रामचन्द्र के नाम से नामान्तरकरण खुला हैं। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी के पिता उंकार जी एवं परिवार के अन्य सदस्यो को भी हैं। जिससे ही रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 ने नामान्तरकरण पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की हैं। मात्र अपीलार्थी ही जमीन हड़पने की नियत रखते हुए गलत तथ्यो का समावेश कर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से 36 वर्ष के विलम्ब के साथ बैरून मियाद अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। जो खारीज योग्य हैं। जिसे खारीज फरमाया जावें। अपनी बहस की ताईद में 1997(2)म.प्र.वी.नो. 111 म.प्र. (कृष्ण दास बनाम म्युनिसपल कार्पोरेशन ग्वालियर), 2013 ए.आई.आर. एससीडब्ल्यू 4904 (मैनेजर टेलिफोन निगम लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र), 200 (1) जी.एल.टी. 34 (यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम वुड क्राफ्ट प्रोडक्टस), 1993 (3) डब्ल्यूएलसी (राज.) 372, 1996 (2) करेंट सिविल कैसेज 150 देहली, 2013 एन.ओ.सी. 327 गुवाहटी, 1999 (2) विधि भास्कर 182, 1995 ए.आई.आर. (राज.) 47 (महेश बनाम श्रीमती शिमला), स्पेशल डिप्टी कलेक्टर बनाम लक्ष्मण रेड्डी)1995 (4)20) के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज पासबुक की छायाप्रति जो कि पटवारी हल्का सालेराकला द्वारा जारी की गई है, जिसमें वादग्रस्त आराजी 1188, 1189, 1190 किता 3 रकबा 10.14 बीघा भूमि दिनांक 01.02.76 को खेमा पिता भोपा सालवी के नाम इन्तकाल नम्बर 152 से दर्ज हुई हैं, जबकि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में आराजी संख्या 1189 एवं 1190 का ही उल्लेख किया गया हैं। अपीलीय नामान्तरकरण 220 दिनांक 14.01.83 जो भेरा पिता लाला बलाई के नाम से किसना पिता परसीया

बलाई के नाम हस्तान्तरीत हुई है जिसके कॉलम संख्या 14 में अंकित किया है कि भेरा को फौत हुए 10 वर्ष हुए है व परसीया को फौत हुए 5 वर्ष हुए है यानिकी भेरा के पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी हैं। अपीलान्ट द्वारा भेरा को लाऔलाद फौत बताया गया हैं, जबकि अपीलीय नामान्तरकरण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, नाही अपीलान्ट द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो, जिसके आधार पर अपील में वर्णित तथ्यो को साबित किया जा सके, जबकि उसके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 को वारीसान बताया गया है, उनके द्वारा भी अपने धारा 5 के जवाब में अपीलान्ट के कथनो को अस्वीकार किया गया हैं और जवाब में लिखा है कि अपीलान्ट ने जमीन हड़पने की नीयत से अपील दर्ज कराने के उद्देश्य से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं एवं यह भी कथन किया है कि उक्त आराजीयात पर अपीलार्थी व रेस्पोडेंट का कोई लेनादेना ही नहीं हैं, नाही कोई हक हिस्सा या कब्जा हैं। अपीलार्थी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से भी नहीं आया है। क्योंकि रेस्पोडेन्ट नं. 2 से 5 द्वारा दिये जवाब में अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया है। अपील में अपीलान्ट द्वारा इनका हिस्सा होना बताया गया है।

अपीलान्ट द्वारा 36 वर्ष के अतिविलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है जबकि देरी के प्रत्येक दिन व कारण को हुए विलम्ब को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता हैं। अपीलार्थी ने लम्बे विलम्ब के उचित व पर्याप्त कारण को नहीं दर्शाया हैं। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई सद्भाविक कारण अंकित नहीं किया है, जिसके कारण 36 वर्ष अतिविलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.01.27 15:52:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: